संख्या – 81 / XXX...

प्रेषक,

राजीव गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।

1– मण्डलायुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4–

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांकः 25 जनवरी, 2006

विषयः– भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान देने वाले शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी को मौन धारण करना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति मे हर वर्ष 30 जनवरी को 11.00 बजे पूर्वान्ह दो मिनट का मौन रखा जाता है और काम तथा गतिविधियॉ रोक दी जाती हैं। इस दिन को मनाए जाने के लिए निम्नलिखित स्थायी अनुदेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैः–

क– प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को 11.00 बजे पूर्वान्ह राज्य भर में दो मिनट का मौन रखा जायेगा तथा काम और गतिविधियां रोक दी जायेंगी।

ख– दो मिनट का मौन शुरू होने तथा मौन समाप्त होने की सूचना, जहां–कहीं व्यावहारिक हो, साइरन बजाकर अथवा सेना की तोप दागकर दी जानी चाहिए। दो मिनट का मौन शुरू होने की सूचना 10.59 बजे से 11.00 बजे तक साइरन बजा कर दी जानी चाहिए और फिर दो मिनट बाद 11.02 बजे से 11.03 बजे तक ऑल क्लीयर साइरन बजाए जाने चाहिए। जहां साइरन हो वहां यही कार्यविधि अपनाई जानी चाहिए।

ग– सिगनल सुनकर (जहां उपलब्ध हो) सभी व्यक्ति खड़े हो जाएं और मौन धारण करें। मौन धारण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने कमरे में अथवा उस स्थान पर, जहां वह हो, अकेले खड़े होने के बजाये यदि सभी व्यक्ति एक ही स्थान पर इकठ्ठे होकर मौन के लिए खड़े हो सकें तो यह और भी कारगर तथा प्रभावशाली होगा। किन्तु यदि इससे कार्य में अत्यधिक अस्त–व्यस्तता होने की आशंका हो तो सबको एक जगह एकत्रित करने की आवश्यकता नही है। जहां व्यावहारिक हो, इन दो मिनटों के लिए सभी कारखाने तथा फैक्ट्रियां बंद कर दी जानी चाहिए, आकाशवाणी से प्रसारण रोक दिया जाना चाहिए और सड़कों पर यातायात भी रोक दिया जाना चाहिए। पूर्वाह्न 11:00 बजे छूटने वाले हवाई जहाज, जलयान और रेलगाड़ियां क्रमशः अपने–अपने स्टेशनों पर दो मिनट के लिए रोक देने चाहिये।

घ– जहॉ सिगनल की व्यवस्था न हो वहॉ सम्बन्धित सभी को पूर्वान्ह 11.00 बजे दो मिनट का मौन रखने के सम्बन्ध में उपयुक्त अनुदेश दिये जायं ।

2— भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि विगत में, यह देखा गया है कि जब कि कुछ कार्यालयों में तो दो मिनट का मौन रखा जा रहा होता हैं, आम जनता इस अवसर की गंभीरता पर ध्यान दिए बिना अपने सामान्य कामकाज में लगी होती है। इसलिए भारत सरकार द्वारा निर्देश दिए गए है कि शहीद दिवस को उचित गंभीरता से और जनता के और वेहतर सहयोग से मनाये जाने को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जायं—

क— शहीद दिवस को उचित रूप से मनाए जाने के संबंध में शैक्षिक संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों को अनुदेश जारी किए जाएं। इस दिन के महत्व के बारे में भाषण और वार्ताएं की जाएं जिनमें भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए। कठिनता से प्राप्त की गयी स्वतंत्रता की सुरक्षा, संरक्षण तथा उसकी समृद्धि के प्रति प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य और उसके नैतिक उत्तरदायित्व को इन भाषणों एवं वार्ताओं का विषय बनाया जा सकता है और साथ ही राष्ट्रीय एकता की भावना तथा समान उद्देश्यों और आदेशों के संवर्धन के प्रति वचनबद्धता का भी उल्लेख किया जा सकता है।

ख— क्षेत्रीय प्रचार यूनिटें सांस्कृतिक कार्यकमों, फिल्मों एवं चलचित्रों का आयोजन कर सकती हैं जिनका मूल उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन और स्वतंत्रता संग्राम में शहीदों की भूमिका और राष्ट्रीय एकता का स्मरण कराना हो।

ग— विभिन्न वाणिज्य और उद्योग संधों से भी यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाए कि वे अपने सदस्यों, संबद्ध एसोसिएशनों तथा संगठनों को शहीद दिवस उचित रूप से मनाए जाने के लिए कहें।

इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि कृपया भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी को मौन धारण करने के संबंध में भारत सरकार के उपरोक्त दिशा निर्देशों का प्रत्येक दशा में अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा प्रस्तर—2 में इस विषय पर दिये गये उपायों का भी कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव।